न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01/2019 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना
   मैसर्स चाय व तेल विक्रेता श्री रमेश चन्द, लालसोट रोड, पीपली पातलवास, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांकः— 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.09.2018 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः— चाय व तेल विक्रेता श्री रमेश चन्द मीना, लालसोट रोड, पीपली पातलवास, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक नीले रंग के खुले मुंह के ड्रम में करीबन 200 लीटर सरसों तेल (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 1600 ग्राम सरसों तेल खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 128 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलो में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1997 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार– चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 17.09.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.09.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.09.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1499/एक्ट/2018/158 दिनांक 24.09.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का नमूना नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन (खुला सरसो तेल बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील बहस के दौरान अनुपस्थित रहा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1499/एक्ट/2018/158 दिनांक 24.09.2018 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का विक्रय कर नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1499/एक्ट/2018/158 दिनांक 24.09.2018 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का विक्रय कर नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 का उल्लंघन किया है। जो FSSA नियम 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना मैसर्स चाय व तेल विक्रेता श्री रमेश चन्द, लालसोट रोड, पीपली पातलवास, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा पर 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 1911-1513 दिनांकः- 13 .09.2019

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री रामफूल मीना मैसर्स चाय व तेल विक्रेता श्री रमेश चन्द, लालसोट रोड, पीपली पातलवास, तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official